भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग

नई दिल्ली

दिनांक: 14 अक्टूबर, 2016

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : जापान और कतर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयात के विरूद्ध पाटनरोधी जांच की शुरूआत

संख्या **14/31/2015-डीजीएडी**: यत: मै. अल्कली मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा संबद्ध वस्तु के चार उत्पादकों अर्थात मै. डीसीडब्लू लि., मै. गुजरात अलकलीज एंड कैमिकल्स लि., मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. और एसआईईएल (जिसे एतद्पश्चात आवेदक या याचिकाकर्त्ता भी कहा गया है) के साथ कास्टिक सोडा के घरेलू उत्पादकों की ओर से 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष जापान और कतर (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. कथित रूप से पाटित की जा रही वस्तु कास्टिक सोडा है। । कास्टिक सोडा को रासायनिक रूप से एनएओएच या सोडियम हाइड्रॉक्साइड के रूप में जाना जाता है। कास्टिक सोडा एक साबुनी, अधिक अल्कलाइन गंधरहित द्रव होता है। कास्टिक सोडा को तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं अर्थात मरकरी सेल प्रक्रिया, डायफ्रेग्म प्रक्रिया और मेम्बरेन प्रक्रिया द्वारा दो रूपों अर्थात लाई और ठोस

(फ्लेक्स) रूप में उत्पादित किया जाता है। द्रव रूप को ठोस रूप में बदला जा सकता है और ठोस रूप को आसानी से उत्पाद की रासायनिक विशेषताओं में कोई परिवर्तन किए बिना द्रव में पुनः बदला जा सकता है। ठोस रूप के भण्डारण और परिवहन में आसानी होती है जबकि द्रव रूप आसानी से घुल जाता है। अंतिम प्रयोग के लिए दोनों रूप प्रतिस्थापनीय और अंतर स्थापनीय हैं। कास्टिक सोडा के दोनों रूप इस जॉच की विषय वस्तु हैं।

ख. समान वस्तु

3. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोइ ज्ञात अंतर नहीं है।

ग. सीमाशुल्क वर्गीकरण

4. कास्टिक सोडा को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। आईटीसी 8-अंकीय वर्गीकरण के अनुसार, इस उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 2815.1101, 28151102 और 2815.1200 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि उक्त वर्गीकरण के वल सांकेतिक है और इस जॉच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

5. यह याचिका मै. अल्कली मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा संबद्ध वस्तु के चार उत्पादकों अर्थात मै. डीसीडब्लू लि., मै. गुजरात अलकलीज एंड कैमिकल्स लि., मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. और एसआईईएल के साथ संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों की ओर से दायर की गई है।

6. उक्त भागीदार कंपनियों के अलावा विचाराधीन उत्पाद के 25 अन्य भारतीय उत्पादक भी है जो एसोसिएशनों के सदस्य भी हैं। एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त सभी घरेलू उत्पादकों की क्षमताओं और उत्पादन की मात्रा संबधी सूचना के अनुसार भागीदार घरेलू उत्पादकोंका भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस जॉच के प्रयोजनार्थ आवेदक घरेलू उद्योग के पास नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अुनसार वह घरेलू उद्योग हैं ।

ड़. शामिल देश

7. वे देश जिनके विरूद्ध जॉच करने के लिए आवेदन दायर किया गया है जापान और कतर हैं।

च. पाटन मार्जिन का अनुमान

8. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के साक्ष्य के रूप में जॉच अवधिके लिए एचआईएच कैमिकल, ग्लोबल क्लोर अल्कली, मासिक बाजार रिपोर्ट का संदर्भ लिया गया है जो अम.डा./डीएमटी के रूप में जापान/एनई एशिया और मध्य पूर्व की घरेलू कीमतों को दर्शाते हैं। तदनुसार, जापान के लिए कारखाना-द्वार सामान्य मूल्य का अनुमान जापान के घरेलू बाजार में औसत बिक्री कीमत के आधार पर उसे घरेलू बिक्री व्ययों के लिए समायोजित करने के बाद लगाया गया है। खाड़ी क्षेत्र में संबद्ध वस्तु के लिए व्यापार कीमतों की किसी प्रकाशित सूचना के अभाव में कतर के लिए सामान्य मूल्य का आकलन प्रारंभिक अनुमानों के प्रयोजनार्थ परिकलित किया गया है।

9. उक्त देशों के लिए निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमत का अनुमान डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्ययों और अंतरर्देशीय भाड़ा व्ययों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समायोजन करते हुए लगाया गया है।

10. प्राधिकारी के समक्ष आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के अनुसार संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य भारत में निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

11. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों से मात्रा और कीमत प्रभावों के संचयी प्रभावों के कारण बाजार हिस्से और लाभप्रदता में गिरावट के अनुसार वास्तविक क्षति हुई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि जॉच की प्रस्तावित अवधि में पाटित आयातों में वृद्धि की दर से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है। आवेदक ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य और विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटित अयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और क्षति के खतरे को सिद्ध करते हुए विभिन्न मापदंडों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। इन मापदंडों से प्रथम द्रष्टया संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और निकट भविष्य में भी क्षति का खतरा है।

ज. पाटनरोधी जॉच की शुरूआत

12. और यतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और वास्तविक क्षति के खतरे तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन, यदि कोई हो, की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

क) जांच अवधि (पीओआई)

13. वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ 1 अप्रैल, 2015 - 31 मार्च, 2016 तक की अवधि जांच अवधि (पीओआई) होगी। तथापि क्षति जॉच 2012- 2013, 2013- 2014, 2014- 2015 और जांच की अवधि (पीओआई) की सूचना पर विचार किया जाएगा।

ख) सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए जापान और कतर की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

ग) समय-सीमा

16. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस जॉच की शुरूआत के पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। कोई अन्य हितबद्ध पक्ष, जिसका पता उपलब्ध न हो, भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है। सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी हेाती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

घ) गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा-:

(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि)।

18. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय " अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पॉच (5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

19. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा

जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं। सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

22. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड़) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

च) असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला

अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी